

अनिल कुमार बाजपेयी,  
विशेष सचिव,  
उम्प्र० शासन।

सेवा में,

विदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उम्प्र०, लखनऊ।  
नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उम्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मतिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-बलरामपुर की 01 परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4160/09/10/छ./विविध/2017-18, दिनांक 11.10.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मतिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-बलरामपुर की नगर पालिका परिषद, बलरामपुर की मतिन बस्ती वार्ड नं-03 के मो० खालवा दक्षिणी में सी०सी० रोड व नाली के मरम्मत कार्य से सम्बन्धित कुल 01 परियोजना हेतु वार्ड नं-03 के मो० खालवा दक्षिणी में केठी० शुक्ल के भूकान से तुलसी दास पोखरा तक सी०सी० रोड एवं नाली की मरम्मत का कार्य।

शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

(धनराशि लाख रु० में)

| क्र० सं० | जनपद का नाम | निकाय/ नगर पंचायत का नाम। | बुज्जी/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।                                                                                     | परियोजना की कुल लागत। | स्वीकृति की जाने वाली एकमुश्त धनराशि। |
|----------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1        | 2           | 3                         | 4                                                                                                                       | 5                     | 6                                     |
| 1        | बलरामपुर    | मो०पा०प०<br>बलरामपुर      | वार्ड नं-03 के मो० खालवा दक्षिणी में केठी० शुक्ल के भूकान से तुलसी दास पोखरा तक सी०सी० रोड एवं नाली की मरम्मत का कार्य। | 25.11                 | 25.11                                 |
|          | योग         |                           |                                                                                                                         | 25.11                 | 25.11                                 |

- उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तावित वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद वें व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही क्रमशः.....2

कार्यक्रम अधिकारी/मानक (AE)

f C | क्रृष्णी AE के

२०११/११/१८  
६.३५

२०११/११/१८

- निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को निल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुभोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
  5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमत्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
  6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
  7. उक्त प्रायोजनों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदारी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
  8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
  9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनानात्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
  10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरायति/पुनरायति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  11. उक्त धनराशि का आहरण निंदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उठप्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव अथवा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
  12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (तेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखार्थीक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
  13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
  14. सेन्ट्रेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (तेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-२-२३/दस-२०११-१७(४)/७५, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

15. स्थीरूप की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2019 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक “2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सुरुजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-23/2015, दिनांक 30.03.2018 व समय-समय पर जारी शासनादेशों के तहत विर्गत किये जा रहे हैं।

~~भृदीय~~  
~~२०११~~  
(अनिल कुमार बाजपेयी)

संख्या-५०/2018/1920(1)/69-1-18, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०,२० सरोजनी लायदू मार्ग, इलाहाबाद।
  2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
  3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवा तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
  4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
  5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, बलरामपुर।
  6. निर्जी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन को मा० मंत्री जी के अबलोकनार्थ।
  7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-९, ३०प्र० शासन।
  8. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
  9. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, ३०प्र० शासन।
  10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
  11. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
  12. सहायक वेब मौस्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
  13. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,  
(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
अन् सचिव।